



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 125-2024/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, AUGUST 14, 2024 (SRAVANA 23, 1946 SAKA)

हरियाणा सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

दिनांक 14 अगस्त, 2024

संख्या 16/5/2024-3H(C).— सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का केन्द्रीय अधिनियम 21) की धारा 79 की उप-धारा (3) के खण्ड (ख) के साथ पठित सूचना प्रौद्योगिकी (सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के नियम 3 के उप-नियम (1) के खण्ड (घ) के प्रथम परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा पुलिस को उक्त अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए हरियाणा राज्य के अभिकरण के रूप में प्राधिकृत करते हैं और आगे, मध्यवर्ती द्वारा नियंत्रित कम्प्यूटर संसाधन में विद्यमान या उससे संबद्ध ऐसी सूचना, डाटा या संसूचना, संपर्क के दृष्टांतों, जिनका उपयोग विधिविरुद्ध कार्य करने के लिए किया जा रहा है, को अधिसूचित करने के लिए हरियाणा पुलिस के पुलिस अधीक्षक और उससे ऊपर की पदवी के अधिकारियों को पदाभिहित करते हैं।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव हरियाणा सरकार,
गृह विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

HOME DEPARTMENT

Notification

The 14th August, 2024

No. 16/5/2024-3H(C).— In exercise of the powers conferred under the first proviso to clause (d) of sub-rule (1) of rule 3 of the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 read with clause (b) of sub-section (3) of section 79 of the Information Technology Act, 2000 (Central Act 21 of 2000), the Governor of Haryana hereby authorises the Haryana Police to be the agency of the State of Haryana to perform the functions under the said Act and further designates the officers of the Haryana Police in the rank of Superintendent of Police and above to notify the instances of information, data or communication link residing in or connected to a computer resource controlled by the intermediary being used to commit the unlawful act.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Home Department.